हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग हरियाणा

अधिसूचना

दिनांक 5 सितम्बर, 2018

संख्या का०आ०59/के०अ०23/2010/धा०10/2018.— नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 23), की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का गठन करते हैं अर्थात् : —

1.	उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	सिविल सर्जन	संयोजक
3.	पुलिस अधीक्षक या उसका नामनिर्दशितीः	सदस्य
4.	नगरपालिका का नगरायुक्त, नगरपालिका समिति का संयोजक या कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
5	भारतीय चिकित्सा संघ के जिला का प्रधान	सदस्य

आर० आर० जोवल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT HARYANA

Notification

The 5th September, 2018

No. S.O.59/C.A.23/2010/S.10/2018.— In exercise of the power conferred by section 10 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act 23 of 2010), the Governor of Haryana hereby constitutes the **District Registering Authority** for each district consisting of the following members, namely:-

1.	Deputy Commissioner	Chairperson
2.	Civil Surgeon	Convenor
3.	Superintendent of Police or nominee.	Member
4.	Municipal Commissioner of Municipal Corporation or Executive officer of Municipal Committee	Member
5.	President of the District Indian Medical Association Branch	Member

R. R. JOWEL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Health Department.

56526—L.R.—H.G.P., Chd.